GOVT. OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 5TH LEVEL, B-WING,
DELHI SECTT.: I.P. ESTATE: NEW DELHI

F. No. F.11(350)/PWD-II/Un-Starred/VS/2018/8321-22 Dated: 07/06/2018

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Sectt.,
Delhi-110054.

Sub.: Reply of Legislative Assembly Un-starred Question No. 111 Raised by Hon'ble MLA Sh. Pankaj Pushkar, due for answer on 08.06.2018.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F.11(B-I)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2087 dated: 28.05.2018 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e.mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY(PWD/VS)

F. No. F.11(350)/PWD-II/Un-Starred/VS/2018/ Dated:

Copy for information to:-

OSD to Hon'ble Minister(PWD)

(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY(PWD/VS)

विभाग का नाम :– लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5वॉ तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली–110002.

अतारांकित **प्रशन संख्याः 111**
दिनांकः 08.06.2018
प्रशनकर्ता का नामः श्री पंकज पुष्कर
क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें किः

क.स.	प्रश्न	उत्तर
क	तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में रामघाट (वजीराबाद) में पीडब्लूडी की भूमि जिस पर अनाधिकृत कब्जे का पुराना प्रकरण लम्बित है, को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करवाने में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और	13 जून एंव 14 जून 2017 को रैवैन्यू विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यह बतायागयाकिलोनिवि की कुछ भूमि है जिसे चिन्हित किया गया। एस.डी.एम (सिविल लाईन्स) के चेयरमैनशिप में एस.टी.एफ. गठित की गयी। एस.डी.एम के आदेशानुसार लोनिवि द्वारा अतिक्रमणकारियो को अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 09.01.2018 को अतिक्रमण पर नोटिस लगाये गए। एस.डी.एम के आदेशानुसार लोनिवि द्वारा दिनांक 15.05.2018 को सार्वजनिक घोषणा एवं वीडियोग्राफी भी करवाई गयी। इस संबंध में प्रकरण संख्या 226/18 माननीय न्यायालय, तीस हजारी में लंबित है। इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 20.08.2018 निर्धारित की गयी है।
ख	उक्त अनाधिकृत कब्जे को अवमुक्त करवाने में देरी के क्या कारण हैं?	यह कार्यवाही एस.डी.एम. सिविल लाईन कार्यालय द्वारा की जानी है। इस संबंध में उनके द्वारा निर्णय लेना शेष है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(देवासीस बिसवाल)
उप सचिव, (लो0नि0वि0)

DEBASIS BISWAL
Deputy Secretary
Public Works Department
Delhi Secretariat
Govt. of NCT of Delhi